भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1912

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का कार्यान्वयन

1912. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए छूट या सरल मानक और निष्पादन आवश्यकताओं को आसान बनाने पर विचार किया है ताकि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का कार्यान्वयन घरेलू उत्पादन को बाधित न करे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र मानने वाले बैंकों और एनबीएफसी द्वारा लगाया जाने वाले ब्याज दर को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी वित्तपोषकों और एनबीएफसी द्वारा सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दरों के अंतर और मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर डेटा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूक्ष्म और छोटी इकाइयों में उच्च लागत वाली निजी वित्तीय निर्भरता को कम करने और किफायती औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : भारत सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से, संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को चरणबद्ध तरीके से लागू करती है, जिसमें एमएसएमई के लिए छूट/राहत शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) से घरेलू उत्पादन में कोई बाधा न आए। कुछ प्रमुख छूट और राहतें इस प्रकार हैं:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए अतिरिक्त समय: सूक्ष्म उद्यमों के लिए समयावधि में 6 महीने का विस्तार और लघु उद्यमों के लिए 3 महीने का विस्तार।
- निर्यातोन्मुखी उत्पादों के उत्पादन हेतु घरेलू निर्माताओं द्वारा आयात पर छूट।
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनार्थ 200 इकाइयों तक के आयात पर छूट।
- प्रभावी तिथि से छह महीने के भीतर पुराने स्टॉक (कार्यान्वयन से पहले निर्मित या आयातित) की निकासी का प्रावधान।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सूचित किया है कि प्रमाणन प्रक्रियाओं पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर, बीआईएस ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वित्तीय और तकनीकी छूट लागू की हैं:

- एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए, बीआईएस द्वारा वार्षिक न्यूनतम अंकन शुल्क में 80% (सूक्ष्म उद्यमों के लिए), 50% (लघु उद्यमों के लिए) और 20% (मध्यम उद्यमों के लिए) की छूट के साथ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित उद्यमों या महिला उद्यमी एमएसएमई इकाइयों को 10% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाती है।

- एमएसएमई इकाइयों के लिए इन-हाउस प्रयोगशाला बनाए रखने की आवश्यकता को वैकल्पिक बना दिया गया है। एमएसएमई इकाइयों को बाहरी बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं, एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करने या क्लस्टर आधारित प्रयोगशालाओं या अन्य विनिर्माण इकाइयों की प्रयोगशालाओं जैसे संसाधनों को साझा करने की अनुमति है। निरीक्षण और परीक्षण योजना (एसआईटी) में 'नियंत्रण के स्तर' को अनुशंसात्मक प्रकृति का बनाया गया है। निर्माता के पास अपनी नियंत्रण इकाई/बैच/लॉट और अपने नियंत्रण स्तर निर्धारित करने और बीआईएस को सूचित करने का विकल्प है।

- बीआईएस ने उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया के दिशानिर्देश भी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिए हैं। विभिन्न भारतीय मानकों के अनुसार अनुरूपता मूल्यांकन हेतु बीआईएस मार्गदर्शन दस्तावेज़ के रूप में उत्पाद-वार मैनुअल भी जारी कर रहा है।

(ख) से (घ) : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मौद्रिक नीति संचरण में सुधार के उद्देश्य से, बैंकों को एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों को एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी गई है। बाहरी बेंचमार्क प्रणाली के तहत ऋणों के लिए रीसेट क्लॉज़ को घटाकर तीन महीने कर दिया गया है। इसके अलावा, मौजूदा उधारकर्ताओं को बाहरी बेंचमार्क-आधारित ब्याज व्यवस्था का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, बैंकों को पारस्परिक सहमति से स्विचओवर का एक विकल्प प्रदान करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं: उनमें से कुछ इस प्रकार हैं;

- सरकार ने एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) की घोषणा की है। यह सरकार समर्थित पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद करना है। यह योजना ऋण गारंटी प्रदान करती है, जिससे एमएसएमई के लिए विशेषकर, आवश्यक उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह योजना ऋणदाताओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी) को उपकरण/मशीनरी की खरीद से जुड़ी परियोजनाओं के लिए एमएसएमई को दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवर प्रदान करती है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के दिशानिर्देशों में एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है।
- एमएसई इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की गणना 5 करोड़ रुपए तक की उधार सीमा के लिए अनुमानित वार्षिक कारोबार का न्यूनतम 20% होगी।

******